पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 227/2022

अनवान :

प्रतापसिंह पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
2. कृष्णा पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
3. ज्ञानादेवी पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
4. बिमला पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
5. स्नेहलता पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद पूनियां एवं वकील प्रतिवादीगण श्री उम्मेद सिंह मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मोठसरा के खाता सं0 28/105 के खसरा सं0 266 की 9.143है0, खसरा सं0 284 की 2.782है0, खसरा सं0 291/1 की 0.114है0, खसरा सं0 299 की 0.607 कुल खसरा 4 की 12.646है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह का नाम कलमजन कर वादी प्रतापसिंह को सम्पूर्ण वादभूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.11.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

Scanned with CamScanner